संख्या–2259/पॉच–6–2018–5(19)2018 टी0सी0–1

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/साचीज
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र,
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 27 जुलाई, 2018

विषयः–आयुष्मान भारत– नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत "आयुष्मान मित्र" के चयन एवं तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुष्मान भारत– नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुबन्धित चिकित्सालयों में बिना किसी कठिनाई के निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "आयुष्मान मित्र" का चयन एवं तैनाती की जानी है। आयुष्मान मित्र द्वारा अनुबन्धित चिकित्सालयों में योजना के लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने, आवश्यक पैकेज का प्री–आथराईजेशन प्राप्त करने तथा लाभार्थी को चिकित्सालय में भर्ती कराने के उपरान्त योजना के मानक के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान किया जायेगा।

1. आयुष्मान मित्र के चयन हेतु मानकः–

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।

(ख) हिन्दी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान।

(ग) कम्प्यूटर तथा इंटरनेट पोर्टल पर कार्य करने में सक्षम।

योग्य आशा कार्यकर्ती अथवा महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

2. राजकीय चिकित्सालयों में तैनाती हेतु आयुष्मान मित्र का चयन तथा मानदेय :–

(क) अनुबन्धित राजकीय चिकित्सालयों में तैनाती हेतु आयुष्मान मित्र का चयन जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समित द्वारा किया जायेगा। समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। योजना के प्रारम्भ में एक–एक आयुष्मान मित्र की तैनाती जिला चिकित्सालयों (महिला/पुरूष), संयुक्त चिकित्सालयों तथा जनपद स्तरीय अन्य बड़े चिकित्सालयों में की जायेगी। भविष्य में कार्य की अधिकता के आधार पर एक से अधिक आयुष्मान मित्र की नियुक्ति की जायेगी।

(ख) स्टेट हेल्थ एजेन्सी की सहमति से प्रारम्भिक तैनाती के उपरान्त प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर आयुष्मान मित्र को उसी शहर के दूसरे अनुबन्धित राजकीय चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जा सकता हे।

(ग) मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि :–

मानदेय– रू0. 5000/– प्रतिमाह

प्रोत्साहन – रू0. 50/– प्रति लाभार्थी (उपचार के उपरान्त क्लेम प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी होने पर) मानदेय तथा प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान सम्बन्धित चिकित्सालय के रोगी कल्याण समिति की निधि से किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत उपचार के उपरान्त क्लेम की धनराशि रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा करने का प्राविधान है।

3. निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र का चयन :–

अनुबन्धित निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र का मानक के अनुरूप चयन तथा तैनाती सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा स्वयं किया जायेगा। निजी चिकित्सालयों में तैनात आयुष्मान मित्र के मानदेय का निर्धारण तथा भुगतान सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा स्वयं किया जायेगा।

4. **मेडिकल कॉलेजों में आयुष्मान मित्र का चयन तथा तैनाती सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जायेगा तथा आयुष्मान मित्र के मानदेय तथा प्रोत्साहन का भुगतान भी सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जायेगा।**

5. <u>आयुष्मान मित्र के कार्य तथा दायित्व :–</u>

अनुबन्धित चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र प्राथमिक सम्पर्क सूत्र होगा, जो लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने में निम्नवत सहायता करेगा।

(क) Beneficiary Identification System (BIS) के माध्यम से लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करना तथा ए0बी0एन0एच0पी0एम0 कार्ड उपलब्ध कराना।

(ख) लाभार्थी को चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करना तथा भर्ती कराने में सहायता करना।

(ग) लाभाथी को योजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देना।

(घ) यदि लाभार्थी के उपचार हेतु भर्ती की आवश्यकता नही है, तो लाभार्थी को यह अवगत कराना कि ओ0पी0डी0 उपचार पर होने वाला व्यय लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ेगा क्योंकि योजना के अन्तर्गत केवल इंडोर ट्रीटमेंट की निःशुल्क व्यवस्था का प्राविधान है।

(च) निर्धारित पैकेज के प्री–आथराइजेशन हेतु आवश्यक प्रपत्र स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड करना।

(छ) भर्ती के दौरान लाभार्थी को योजना के मानक के अनुसार समस्त सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराने में सहायता करना।

(ज) लाभार्थी के उपचार के उपरान्त "क्लेम रिक्वेस्ट" हेतु आवश्यक प्रपत्र स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड कराना।

(झ) डिस्चार्ज समरी के अनुसार लाभार्थी का मार्ग दर्शन करना।

(ट) लाभार्थी का कार्ड खराब हो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट कार्ड प्राप्त करने हेतु लाभार्थी का मार्ग दर्शन करना।

(ठ) आकस्मिक सर्जरी/चिकित्सा की स्थिति में चिकित्सालय के सम्बन्धित विभाग से समयान्तर्गत समन्वय स्थापित करना।

(ड) चिकित्सालय में योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा कमी को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाना।

6. <u>**Beneficiary Identification System (BIS) की सहायता से लाभार्थी की पहचान की प्रक्रिया**</u>

आयुष्मान मित्र द्वारा लाभार्थी की पहचान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(क) सम्भावित लाभार्थी के आगमन पर आयुष्मान मित्र उसका स्वागत करेगा।

(ख) आयुष्मान मित्र लाभार्थी से आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा अन्य सरकारी पहचान पत्र प्राप्त करेगा।

(ग) आयुष्मान मित्र डाटा बेस में लाभार्थी का नाम/परिवार का विवरण खोजेगा।

(घ) लाभार्थी का नाम मिल जाने पर लाभार्थी की पहचान उसके उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा।

(च) लाभार्थी के ऑनलाइन सत्यापन हेतु आधार नम्बर अथवा ऑफ लाइन सत्यापन हेतु अन्य सरकारी पहचान पत्र की सहायता ली जायेगी।

(छ) लाभार्थी की पहचान हेतु प्रयुक्त पहचान पत्र स्कैन किया जायेगा तथा लाभार्थी की डिजिटल फोटो भी ली जायेगी।

(ज) लाभार्थी का सत्यापन हो जाने के उपरान्त लाभार्थी का राशन कार्ड स्कैन करते हुये परिवार के मुखिया से सम्बन्ध की पहचान की जायेगी।

(झ) लाभार्थी के व्यक्तिगत पहचान पत्र तथा राशन कार्ड को वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात् आयुष्मान मित्र को "name match score" तथा "family match score" प्राप्त होगा।

(ट) लाभार्थी का सत्यापन पूर्ण हो जाने के उपरान्त उसका विवरण "सिल्वर रिकार्ड" के रूप में सुरक्षित हो जायेगा। आयुष्मान मित्र द्वारा प्रोविजनल "ए0बी0एन0एच0पी0एम0 कार्ड" प्रिंट कर लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ठ) तत्पश्चात् सिल्वर रिकार्ड को सत्यापन हेतु आयुष्मान मित्र द्वारा सक्षम अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा, जिसमें सत्यापन हेतु लगभग 30 मिनट का समय लगेगा।

(ड) सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापन के उपरान्त लाथार्थी का विवरण "गोल्डेन रिकार्ड" के रूपमें सुरक्षित हो जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी को "ए0बी0एन0एच0पी0एम0 कार्ड" प्रिंट कर लाभार्थी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7. आयुष्मान मित्र के कार्य (Performance) की मॉनिटरिंग

स्टेट हेल्थ एजेन्सी द्वारा आयुष्मान मित्र के कार्य (Performance) की मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी की सहायता से की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आयुष्मान मित्र निर्धारित दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। Performance की मॉनिटरिंग निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

(क) आयुष्मान मित्र की चिकित्सालय में उपस्थिति

(ख) ऐसे प्री–आथराइजेशन केसेज के रिक्वेस्ट की संख्या जो आयुष्मान मित्र द्वारा प्रस्तुत किये गये लेकिन वापस कर दिये गये।

(ग) ऐसे प्री–आथराइजेशन केसेज की संख्या का प्रतिशत जो पहली बार में स्वीकृत हो गये।

(ग) प्री–आथराइज्ड पैकेजों की संख्या

(घ) ट्रेनिंग में "Performance appraisal"

(च) "Questionnaire" की सहायता से लाभार्थी फीड बैक

(छ) डिस्ट्रिक्ट को–ऑडिनेटर द्वारा किया गया "Performance appraisal"

उक्त दिशा निर्देशों के आधार पर आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत आयुष्मान मित्र के चयन तथा तैनाती हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रशांत त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/पांच–6–18–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकत्साधिकारी उत्तर प्रदेश
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव